

## फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिर्वा, उदयपुर

(राष्ट्रीय लोक अदालत)

/ प्रार्थी : सुगना

प्रतिवादी / विपक्षी : मांगीलाल व अन्य

म मुकदमा : वाद

पत्रावली संख्या : 103/20 सन 2020

मांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 09.03.2024</p> <p>वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर वाद प्रत्याहारित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकरान् के मध्य राजीनामा होने से इसी स्टेज पर प्रत्याहारित करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रत्याहारित करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। यह आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच में सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	
	<p>(श्री राजेन्द्र जैन )</p> <p>सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत</p>	<p>(श्री मनीष अग्रवाल)</p> <p>न्यायाधीश फैमिली कोर्ट-1 उदयपुर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत</p>

